नगर परिषद सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018
भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफाशिों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन (एल0ए0) खण्ड– (ख) IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद सुजानपुर के लेखों अवधि 01.04.16 से 31.03.18 तक का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत्त रहेः–

(i) अध्यक्ष, नगर परिषद

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री रमन भटनागर	01.04.16 से 31.03.18 तक

(ii) कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री राज कृष्ण शर्मा	01.04.16 से 31.12.16 तक
2	श्री विनोद कुमार शर्मा	17.01.17 से 04.09.17 तक
3	श्री के0एल0 ठाकुर	04.09.17 से 31.03.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि (₹) लाखों में
1	अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष	6 (ख)	91.27
2	गृह कर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	7 (क)	20.53
3	दुकानों के किराये की राशि वसूली हेतु शेष	8 (क)	34.56
4	तहबाजारी शुल्क की राशि वसूली हेतु शेष	9	5.17
5	मोबाईल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	10	0.12
6	विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क की कम वसूली करना	11	0.13

7	विवाह पंजीकरण शुल्क से प्राप्त राशि को राजकीय कोष में जमा न करना	11 (क)	पैरा में वर्णित विवरणानुसार
8	विभिन्न कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप वेतन व भत्तों का सम्भावित अधिक भुगतान	12 (क) से (च)	4.45
9	नियमों के प्रतिकूल करूणामूलक आधार पर चपड़ासी के पद पर नियमित नियुक्ति करना	13	पैरा में वर्णित विवरणानुसार
10	पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि से Leave Encashment का अनियमित भुगतान करना	14	8.12
11	संविदाकार को अधिक भुगतान करना	15 से 20	1.08
12	निक्षेप निर्माण कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को जारी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	22	229.94
13	चिकित्सा व्यय की अनियमित प्रतिपूर्ति करना	23	0.04
14	कालातीत धरोहर राशि को नियम के अनुसार परिषद की आय में लेखांकित न करना	24	1.83

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद सुजानपुर के लेखों अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक का अंकेक्षण कार्य श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक नियन्त्रक व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा अवधि 13.08.2018 से 22.09.2018 तक के दौरान नगर परिषद कार्यालय सुजानपुर में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गयाः–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2016–17	03/2017	12/2016
2017–18	03/2018	07/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत/अधूरी सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद के अवधि 01.04.16 से 31.03.18 तक के लेखाओं के अंकेक्षण का शुल्क ₹48400 आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शिमला भेजने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 235/2018 दिनांक 22.09.2018 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

नगर परिषद सुजानपुर के अवधि 01.04.16 से 31.03.18 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "ख"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्न प्रकार से हैः–

(क) मुख्य रोकड़ बही

वित्तीय वर्ष	शीर्ष का विवरण	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2016–17	स्वयं स्त्रोत	4260091.50	7991048.00	12251139.50	6963978.00	5287161.50
	अनुदान	10255657.00	32772036.00	43027693.00	24350229.00	18677464.00
	कुल योग	14515748.50	40763084.00	55278832.50	31314207.00	23964625.50
2017–18	स्वयं स्त्रोत	5287161.50	10117426	15404587.50	9404594.03	5999993.47
	अनुदान	18677464.00	23147166	41824630.00	33000160.00	8824470.00
	कुल योग	2396425.50	33264592	57229217.5	42404754.03	14824463.47

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष ₹14824463.47

दिनांक 31.03.18 को बैंक खातों में जमा शेष ₹15602465.47

तथा हस्तगत राशि (कृप्या **परिशिष्ट "ख"** पर विवरण देखें)

दिनांक 31.3.18 के रोकड़ बही व बैंक खातों के शेष में अन्तर ₹778002
(बैंक समाधान विवरण देखें)

Sr.No.	Account Number	Amount (₹)
1	Cash in hand	248321.00
2	PNB A/C No. 089000100128513	5040378.50
3	PNB A/C No. 0890000105104013	108338.00
4	PNB A/C No. 0890000105105438	62601.00
5	SBI A/C No. 30721880639	591794.97
6	Canara Bank A/C No. 255810100394	5419976.00
7	FDR No. 089000PU00023959	4131056.00
	Total	**15602465.47**

Bank Reconciliation Statement as on 31.03.18

Sr.No.	Particulars	Debit (₹)	Credit (₹)
	Balance as per Cash Book	14824463.47	
1	Chewue No. 790794 deposited into bank on dt. 30.03.18 but not cleared till 31.3.18		300000
2	Bank Charges deducted by canara bank on dt. 20.03.18 but not entered in cash book till 31.3.18		30
3	Cheques issued but not presented for payment till 31.03.18		

Ch.No. & date	Bank Name	Amount (₹)
836445/22.05.17	PNB	2110
843613/09.08.17	PNB	390
637156/29.11.17	CANARA	4100
637185/29.03.18	CANARA	1064666
637187/29.03.18	CANARA	3500
637189/29.03.18	CANARA	1000

Sr.No.	Particulars	Debit (₹)	Credit (₹)
		1075766	
4	Online amt.received on 17.03.18 in A/C No. 2558101000394 but not entered in cash book till	2266	

31.3.18			
Balance as per various Pass Book & Cash in hand as on 31.3.18			15602465.47
Total		**15902495.47**	**15902495.47**

(i) बैंक समाधान विवरणी की क्रम संख्या 3 की जाँच में पाया कि दिनांक 22.05.17 को चैक संख्या 836445 (PNB) ₹2110 दिनांक 09.08.17 को चैक संख्या 843613 (PNB) ₹390 व दिनांक 29.11.17 को चैक संख्या 637156 (CANARA) ₹4100 भुगतान हेतु जारी किए गए थे लेकिन वर्णित चैक बैंक में दिनांक 31.3.18 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए थे एवं अब यह चैक कालातीत हो चुके हैं। अतः उक्त चैकों के भुगतान की पुष्टि बैक से करने के उपरान्त इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही के आय पक्ष में करके समायोजित करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) सावधिक जमा

नगर पालिका निधि से दिनांक 31.3.18 को सावधिक जमा में निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

Sr.No.	A/C No./Bank Name	Date of Investment	Amt. Investment (₹)	Rate	Period	Date of Maturity	Maturity Value
1	089000PU00023959 (PNB)	12.11.17	4131056	6.25 %	6 Month	12.05.18	4261160

अतः उक्त सावधिक जमा को निर्धारित तिथि को परिपक्व/पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) S.J.S.R.Y. योजना निधि की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट "ग")

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)		कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
		अनुदान	ब्याज			
2016–17	732752	Nil	22384	755136	633342	121794
2017–18	121794	Nil	4921	126715	0	126715

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	₹126715
दिनांक 31.03.18 को बैंक खातों में जमा शेष राशि	₹126715
(KCCB A/C No. 20042054152) शेष में अन्तर	शून्य

(ग) (i) पैन्शन निधि की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट "घ")

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2016–17	6633679	2225973	444804	9304456	3019831	6284625
2017–18	6284625	1735622	427707	8447954	549218	7898736

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	₹7898736
दिनांक 31.03.18 को बैंक खातों में जमा शेष राशि	₹7898736
(KCCB A/C No. 20042054129)	₹2824868
(FDR,S No. 089000PUO0009544)	₹5070868
रोकड़ बही व बैंक खातों के शेष में अन्तर	(शून्य)

(ii) सावधिक जमा

पैन्शन निधि से दिनांक 31.3.2018 को सावधिक जमा में निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

Sr.No.	A/C No./Bank Name	Date of Investment	Amt. Investment (₹)	Rate	Period	Date of maturity	Maturity Value (₹)
1	089000PU00009544 PNB	31.03.18	5070868	6.25%	1 year	31.03.19	

उक्त सावधिक जमा को निर्धारित तिथि को परिपक्व/पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) NULM रोकड़ बही की वित्तीय स्थितिः– (परिशिष्ट "ङ" पृष्ठ)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)		कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
		अनुदान (₹)	ब्याज (₹)			
2016–17	0	0	0	0	0	0
2017–18	0	340000	2840	342840	137081	205759

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	₹205759
दिनांक 31.03.18 को बैंक खातों में जमा शेष राशि	₹205759
(CANARA A/C No. 2558101008717) रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तिम शेष में अन्तर	शून्य

5 नगर परिषद सुजानपुर के गत तीन वर्षो का आय–व्यय विवरण

नगर परिषद सुजानपुर के पिछले तीन वर्ष के आय–व्यय का विवरण निम्नलिखित हैः–

वर्ष वित्तीय	आय (₹)	व्यय (₹)
2015–16	19135274	22343919
2016–17	40763084	31314207
2017–18	33264592	42404754

6 अनुदान

(क) नगर परिषद सुजानपुर की अवधि 01.04.16 से 31.03.18 तक अनुदान की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिनका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया हैः–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्त अनुदान (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2016–17	10988409	32772036	43760445	24983571	18776874
2017–18	18776874	26812553	36462628	36462628	9126799

(ख) अनुदानों की राशि ₹91.27 लाख उपयोग हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "च"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.03.18 को अनुदानों की ₹9126799 उपयोग हेतु थी जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक अथवा दो वर्ष के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः अनुपयोग अनुदान राशियों को समयबद्व उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इन्हें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

7 गृहकर

(क) गृहकर बकाया राशि ₹20.53 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद की आय का मुख्य साधन गृहकर है जिससे प्राप्त आय को वहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है लेकिन नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.18

को ₹2053320 के गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "छ"** में दिया गया है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) 48 गृह करदाताओं से ₹12.69 लाख की राशि वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण में पाया कि कुल बकाया गृहकर की राशि में से ₹1268762 की राशि निम्नलिखित 48 करदाताओं से ही वसूली हेतु शेष थी जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ज"** में दिया गया है अर्थात कुल बकाया गृहकर का 62% इन्हीं करदाताओं से बकाया था, जबकि नगर परिषद द्वारा सभी मूलभूत सुविधाएं समय–2 पर उपलब्ध करवाई जा रही है। अतः नियमानुसार इन करदाताओं से गृहकर की वसूली हेतु उचित कदम उठाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए:–

Ward No.	**House Sr.No.**	**Name & Addres of**	**Outstanding Amt for recovery as on 31.3.18**
Ward No. 1	181	Sh.Puneet Kumar S/O Saran Dass	15530
Ward No. 1	13	Sh. Shanti Bhatnagar S/O Atma Parkash	46621
	28	Sh. Sardari Lal S/O Jagar Nath	10618
	63	Sh. Rajender Singh S/O Roshan Lal	22764
	78	Smt. Kamla Devi W/O Yash Pal	12694
	101	Sh. Ishwar Dass S/O Hans Raj	20170
	164	Sh. Piar Chand S/O Rolu Ram	33818
	165	Sh. Kali Das S/O Rolu Ram	19440
	172	Sh. Pritam Chand S/O Musa Ram	10242
	176	Sh. Shandi Lal S/O Kishori Lal	31494
	184	Smt. Soma Devi W/O Tej Ram	52831
	187	Sh. Pardeep Soni S/O Rikhi Ram	52752
	200	Sh. Faquir Chand S/O Shaligram	25769
	202	Sh. Vimla Devi W/O Chunni Lal	20538
	212	Sh. Rakesh Kumar S/O Raj Kumar	26091
	242	Sh. Ramesh Chand S/O Shambhu Ram	26400
	250	Sh. Rakesh Kumar S/O Raj Kumar	21100
	327	The SDO, HPSEB Sub-Div. Sujanpur	18360

Ward No. 3	10	Smt. Nirmla Devi W/O Parkash Chand	23269
	42	Sh. Harnaam Singh S/O Hari Singh	34320
	52	Sh. Amar Nath S/O Lachomal	17711
	61	Sh. Tulshi Ram S/O Anant Ram	30991
	64-A	Sh. ---do---	45165
Ward No. 4	122	Sh. Ajeet Kumar S/O Parshotam Chand	11474
	176	Sh. Rakesh Kumar S/O Kushal Singh	17440
Ward No. 5	149	Smt. Kamla Devi W/O Teja Ram	16775
	163	Sh. Surjeet Kumar S/O Shakti Chand	12959
	164	Sh. Amar Singh S/O Sonaki Ram	13943
	165	Sh. Gian Chand S/O Luddar Dutt	14558
	172	Sh. Kashmir Singh S/O Bakshi Ram	121905
	197-A	Sh. Tulshi Ram S/O Anant Ram	26385
	202	Sh. Kamal Dev S/O Thakur Dass	18014
	203	Sh. Roshan Lal S/O Sant Ram	15840
	224	Sh. Desh Raj S/O Amin Chand	24443
Ward No. 6	114	Sh. Om Prakash S/O Moti Ram	20203
	118	Smt. Kanta Devi W/O Sarvan Kumar	37558
	128	Sh. Narayan Swroop S/O Sant Ram	12987
	144	The BDO Sujanpur	10995
	147	The Agriculture Officer	12189
Ward No. 8	21	Sh. Ghammir Chand S/O Kaneya Lal	71712
	69	Sh. Jalalu Deen S/O Sambhir Ahmad	35640
	73	Sh. Madan Lal S/O Sunder Dass	14190
	186	Smt. Pawana Devi W/O Jogi Dass	19519
Ward No. 9	46	Sh. Bal Krishan S/O Sultana Ram	33480
	84	Sh. Kamal Nain S/O Tarlok Chand	21776
	87	Sh. Hasrsh Jain S/O Rattan Lal	25484
	101	Sh. Gulshan Kumar S/O Piare Lal	25882
	129	Sh. Sunil Kumar S/O Nand Lal	14723
		Total	**₹1268762**

(ग) नगर परिषद क्षेत्र में नव निर्मित भवनों से गृहकर की वसूली न करना

अंकेक्षण में पाया कि वर्ष 2016–17 व 2017–18 में नगर परिषद सुजानपुर द्वारा स्वीकृत भवनों के नक्शों व बिजली व पानी के कनैक्शन हेतु NOC प्रदान करने के उपरान्त भी

भवनों का गृहकर निर्धारण नियमों के अनुसार नहीं किया गया था जिससे नगर परिषद को प्रतिवर्ष हानि हो रही है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए परिषद आन्तरिक स्तर पर गहन छानबीन करने के उपरान्त ऐसे सभी नव निर्मित भवनों से नियमानुसार गृहकर की वसूली करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस सन्दर्भ में उदाहरण स्वरूप कुछ भवनों का विवरण जिन्हें नक्शों की स्वीकृति एवं बिजली व पानी के कनैक्शन हेतु NOC प्रदान किये गए हैं, निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	मकान मालिक का नाम	वार्ड सं0	दिनांक / जी–8 सं0	राशि (₹)
1	श्रीमति मोनिका देवी पत्नी श्री करम चन्द	3	06.05.17 / 29–327	250
2	श्री अजमेर सिंह सुपुत्र श्री रिखी राम	3	03.04.17 / 27–317	250
3	श्री मेहर सिंह सुपुत्र श्री जगत राम	3	14.08.17 / 30–347	250
4	श्री सुदर्शन शर्मा सुपुत्र श्री कृष्ण चन्द	9	24.07.17 / 40–340	250
5	श्री हितेश शर्मा सुपुत्र श्री देव राज शर्मा	9	05.08.17 / 17–341	250
6	श्री रोशन लाल सुपुत्र श्री दीवान चन्द	5	05.08.17 / 3–279	250

8 दुकानों के किराए से आय

(क) दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹34.56 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर निर्मित दुकानों/स्टालों/खोखों इत्यादि को किराये/पट्टे पर चढ़ाया गया है तथा इनसे प्राप्त किराया परिषद की आय का मुख्य स्त्रोत है। नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "झ"** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.18 तक दुकानों के किराये से ₹3456227 की राशि वसूली हेतु शेष थी जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0एल0बी0 एच0ए0 (7)–1/87–9237/9284 दिनांक 20.06.01 के द्वारा करों इत्यादि की शत प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गए थे परन्तु नगर परिषद द्वारा इस

सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए थे जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि राशि की वसूली हेतु नियमानुसार अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जाएँ व समस्त बकाया किराये की राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) आबंटित दुकानों से सम्बन्धित अनुबन्धों का नवीनीकरण न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "अ"** में वर्णित दुकानों के आबंटियों के साथ किये गए अनुबन्धों/इकरारनामों की अवधि समाप्त हो चुकी है जिनका दोबारा से नवीनीकरण नहीं किया गया है जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि यथाशीघ्र वर्णित प्रकरणों सहित ऐसे अन्य सभी प्रकरणों में दुकानदारों के साथ नियमानुसार अनुबन्धों का नवीनीकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद व वित्तीय हानि से बचा जा सके तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9 तहबाजारी शुल्क ₹5.17 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2018 को तहबाजारी शुल्क ₹517400 की राशि वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ट"** में दिया गया है। वर्णित बकाया शुल्क की वसूली हेतु परिषद द्वारा कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही थी जिसके कारण वसूली हेतु तहबाजारी शुल्क की राशि वर्ष दर वर्ष बढ़ती ही जा रही है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है क्योंकि परिषद को तहबाजारी शुल्क के साथ–2 इस पर प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि से भी वंचित होना पड़ रहा है। अतः वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कदम उठाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10 मोबाईल टावर शुल्क ₹0.12 लाख वसूली हेतु शेष

मोबाईल टावर के रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.18 तक नवीनीकरण फीस के रूप में वोडाफोन कम्पनी से ₹12250 की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ठ"** में दिया गया है। अतः यथाशीघ्र वर्णित राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप मे देय राशि ₹0.13 लाख की कम वसूली करना

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 द्वारा विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹200 प्रति रजिस्ट्रेशन की दर से तथा देरी से रजिस्ट्रेशन हेतु दुगुनी दर से शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अवधि 04.10.16 से 25.08.17 तक विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क देय दर की अपेक्षा कम दर से वसूल करने के कारण निम्न विवरणानुसार ₹12720 कम वसूल किए गए थेः—

क्र0सं0	नाम	रजिस्टर पृ0सं0	रजिस्ट्रेशन सं0	विवाह की तिथि	रजिस्ट्रेशन की तिथि	प्राप्त शुल्क (₹)	देय शुल्क (₹)	देय विलम्ब शुल्क	कम वसूल राशि (₹)
1	श्री हर्ष वालिया	85	25	10.10.16	17.10.16	5	200		195
2	श्री अतुल कुमार	85	26	10.10.16	28.10.16	5	200		195
3	श्री तरूण सिंह	85	27	11.10.16	28.10.16	5	200		195
4	श्री विपुल महाजन	85	28	20.10.16	02.11.16	5	200		195
5	श्री अभिनाश शर्मा	85	29	16.04.16	01.11.16	60	200	200	340
6	श्री दर्शन चौधरी	86	30	11.10.16	04.11.16	5	200		195
7	श्री अरूण कुमार	86	31	02.11.16	17.11.16	5	200		195
8	श्री अखिल दत्त	86	32	07.11.16	17.11.16	5	200		195
9	श्री अनिल कुमार	86	33	26.10.16	19.11.16	5	200		195
10	श्रीमति अदिती पुवारी	86	24	24.07.16	02.11.16	5	200	200	395
11	श्री परमजीत ठाकुर	86	34	24.08.16	29.11.16	10	200	200	390

12	श्री अनिल कुमार	87	35	12.10.16	02.12.16	10	200	200	390
13	श्री मनीष कुमार	87	36	07.11.16	12.12.16	10	200	200	390
14	श्री अशीष शर्मा	87	37	30.11.16	17.12.16	5	200		195
15	श्री प्रदीप कुमार	87	38	08.12.16	17.12.16	5	200		195
16	श्री सुरेश कुमार	87	39	24.07.16	22.12.16	60	200	200	340
17	श्री नितिन डोगरा	88	40	09.12.16	23.12.16	5	200		195
18	श्री प्रतिभाशाली	88	41	12.10.16	29.12.16	10	200	200	390
19	श्री अमन	88	42	10.12.16	29.12.16	5	200		195
20	श्री रोहित कुमार	88	43	07.1116	20.01.17	5	200	200	395
21	श्री जीत पल सिंह	88	44	12.12.16	20.01.17	10	200	200	390
22	श्री आशीष कुमार	89	45	24.01.17	06.02.17	5	200		195
23	श्री पंकज	89	46	18.02.17	06.03.17	5	200		195
24	श्री अशवनी कुमार	89	47	03.02.17	06.03.17	10	200	200	390
25	श्री कमल जीत	89	48	28.02.17	14.03.17	5	200		195
26	श्री नितेश राना	89	49	14.02.17	14.03.17	10	200		190
27	श्री अमित कुमार	90	50	05.02.17	14.03.17	10	200	200	390
28	श्री मनीष कुमार	90	51	05.02.17	16.03.17	10	200	200	390
29	श्री चन्दन कपल	90	52	02.02.17	27.03.17	10	200	200	390
30	श्री अमित कुमार	1	1	14.02.17	01.04.17	10	200	200	390

31	श्री राहुल मेहरा	1	2	28.02.17	01.04.17	10	200	200	390
32	श्री बिन्टू कुमार	1	3	13.04.17	18.04.17	5	200		195
33	श्री अनूप कृष्ण	1	4	28.04.17	11.05.17	5	200		195
34	श्री अजय कुमार	1	5	15.04.17	12.05.17	5	200		195
35	श्री अमित कुमार	2	6	22.04.16	16.05.17	60	200	200	340
36	श्री अमर सिंह	2	7	03.05.17	16.05.17	5	200		195
37	श्री विक्की	2	8	28.04.17	16.05.17	5	200		195
38	श्री सोनी कुमार	2	9	18.04.17	17.05.17	5	200		195
39	श्री संजीव कुमार	2	10	11.05.17	26.05.17	5	200		195
40	श्री विनोद कुमार	2	11	16.05.17	29.05.17	5	200		195
41	श्री मुस्ताक	3	12	27.04.17	15.06.17	10	200	200	390
42	श्री अंकुश शर्मा	3	13	18.06.17	04.07.17	5	200		195
43	श्री अजय कुमार	3	14	09.05.17	01.18.17	10	200	200	390
44	श्री अखिल नाग	3	15	19.07.17	05.08.17	5	200		195
45	श्री सुमित नाग	3	16	01.08.17	10.08.17	5	200		195
46	श्री महेश	4	17	20.07.17	10.08.17	5	200		195
47	श्री पंकज चौधरी	4	18	08.08.17	25.08.17	5	200		195
48	श्री अशीष कुमार	4	19	30.07.17	21.07.17	10	200		190
						480	**9600**	**3600**	**12720**

उक्त अनियमितता कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 225/2018 दिनांक 14.09.2018 के द्वारा लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी ने पत्र संख्याः 973 दिनांक 19.09.2018 द्वारा सूचित किया कि उक्त विवरणानुसार दिनांक 04.10.16 से 25.08.17 तक विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क की कम वसूल

की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना रिपोर्ट आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी। अतः कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(क) विवाह पंजीकरण शुल्क से प्राप्त राशि को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा न करवाना

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्याः WLF-A(3)1/97 दिनांक 17.12.2004 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विवाह पंजीकरण नियम–2004 के अन्तर्गत प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को राजकीय कोष में शीर्ष–0235–00–800–03 के अन्तर्गत जमा करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा प्राप्त विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क का राजकीय कोष में जमा करवाने की अपेक्षा नगर परिषद निधि खाते में ही जमा रखा गया है जोकि उक्त नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः नियमों के विपरीत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क को नगर परिषद निधि खाते में जमा रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अवधि 04/2016 से 03/2018 तक वसूली की गई विवाह पंजीकरण शुल्क की नगर परिषद स्तर पर गणना करने के उपरान्त सम्बन्धित राशि को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति बिना विवाह पंजीकरण शुल्क दरों में बढ़ौतरी करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 26.08.17 से विवाह पंजीकरण शुल्क की दरों को ₹200 प्रति रजिस्ट्रेशन से बढ़ाकर ₹650 प्रति रजिस्ट्रेशन किया गया था जबकि सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अनुसार विवाह रजिस्ट्रेशन फीस ₹200 प्रति रजिस्ट्रेशन तथा देरी से रजिस्ट्रेशन हेतु दुगुनी देर से फीस प्राप्त की जानी निर्धारित है।

इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में कोई भी प्रस्ताव नगर परिषद द्वारा पारित नहीं किया गया था जबकि जी–8 संख्या 345/20 दिनांक 04.10.17 द्वारा यह फीस ₹650 (₹450 विवाह पंजीकरण फीस व ₹200 विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र शुल्क) वसूल की गई थी जोकि अनियमित प्रतीत होती हैं। अतः नियमों के विपरीत विवाह रजिस्ट्रेशन फीस वसूल करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

12 गलत वेतन निर्धारित करने के परिणामस्वरूप विभिन्न कर्मचारियों को ₹4.23 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान

नगर परिषद के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान वेतन निर्धारण में विभिन्न त्रुटियाँ पाई गई जिसके कारण कर्मचारियों को निम्नविवरणानुसार ₹4.23 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था। अतः वर्णित अनियमितताओं का यथोचित समाधान करने अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

(क) श्री मनोज कुमार गुप्ता, कनिष्ठ सहायक

नगर परिषद सुजानपुर में कार्यरत्त श्री मनोज कुमार गुप्ता की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि उन्होने लिपिक के पद पर दिनांक 29.7.1991 को कार्यग्रहण किया था तथा उन्हें 1st ACPS का लाभ 8 वर्ष का सेवा काल पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 29.7.1999 को तथा 2nd ACPS का लाभ 16 वर्ष का सेवाकल पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 29.7.2007 को प्रदान किया गया था। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सुजानपुर के कार्यालय आदेश संख्याः 14-C/MC/Sujanpur/2015-2095 दिनांक 20.7.2015 द्वारा उन्हें दिनांक 7.8.2009 से कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रतिस्थापन (Placement) करने पर उनका वेतन दिनांक 7.8.2009 से निम्नानुसार एक वेतन वृद्धि प्रदान करके निर्धारित किया गया जोकि अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि नियमानुसार कनिष्ठ सहायक के पद पर Placement होने पर वेतन वृद्धि प्रदान करके वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्हें 3rd ACPS का लाभ दिनांक 7.8.2013 को प्रदान किया गया था जोकि नियमों के अन्तर्गत देय नहीं था क्योंकि उन्हें पहले ही दो ACPS व कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन के रूप में तीन लाभ प्राप्त हो चुके थे। अतः नगर परिषद द्वारा जो वेतन निर्धारण किया गया और नियमानुसार जो वेतनमान निर्धारित किया जाना चाहिए था, उसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनांक	वेतन वास्तव में भुगतान किया गया			देय वेतन			अन्तर (₹)	टिप्पणी
	PAY (₹)	GP (₹)	Total (₹)	PAY (₹)	GP (₹)	Total (₹)		
6.8.2009 Before placement	11810	2000	13810	11810	2000	13810	0	
7.8.2009 After	12230	2800	15030	11810	2800	14610	420	Increment Given Wrongly on

Placement								Placement
1.7.10	12680	2800	15480	12250	2800	15050	430	A.I.
1.7.11	13150	2800	15950	12710	2800	15510	440	A.I.
1.7.12	13630	2800	16430	13180	2800	15980	450	A.I
1.10.12	13630	3600	17230	13180	3600	16780	450	Grade Pay Revised
1.7.13	14150	3600	17750	13690	3600	17290	460	A.I.
7.8.13	14690	3800	18490	13690	3600	17290	1200	ACPS Granted is Not Admissible
1.7.14	15250	3800	19050	14210	3600	17810	1240	A.I.
1.7.15	15830	3800	19630	14750	3600	18350	1280	A.I.
1.7.16	16420	3800	20220	15300	3600	18900	1320	A.I.
1.7.17	15870	3600	19470	15870	3600	19470	0	A.I. (the Pay was rectified by Municipal authorities)

श्री मनोज कुमार गुप्ता, कनिष्ठ सहायक का वेतन दिनांक 7.8.2009 से निर्धारित किया गया है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 7.8.2009 से 19.7.2015 तक उक्त वेतन निर्धारण के फलस्वरूप उन्हें बकाया राशि का कोई भुगतान नहीं किया गया था तथा वास्तव में उन्हें गलत रूप से वेतन का भुगतान दिनांक 20.07.15 से 30.11.16 तक ही किया गया था क्योंकि दिनांक 01.12.16 से नगर परिषद ने अपने स्तर पर ही वेतन को संशोधित करके उचित देय वेतन का भुगतान किया था, जिसकी पुष्टि इनकी वेतन पंजिका में अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः गलत वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप श्री मनोज कुमार गुप्ता, कनिष्ठ सहायक को दिनांक 20.07.15 से 30.11.16 तक निम्न विवरणानुसार ₹48966 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था:–

		DRAWN				**DUE**				
Period	**BP (₹)**	**DA (₹)**	**IR (₹)**	**Total (₹)**	**BP (₹)**	**DA (₹)**	**IR (₹)**	**Total (₹)**	**Period**	**Total (₹)**
20.7.15 to 31.7.15	19630	23360	0	42990	18350	21837	0	40187	2803+31= 90.40x12 days=	1085
1.8.15 to 31.12.15	19630	23360	0	42990	18350	21837	0	40187	2803x5=	14015

1.1.16 to 30.6.16	19630	125% 24586	8%1570	45738	18350	22938	1468	42756	2982x6=	17892
1.7.16 to 31.7.16	20220	130% 26286	8% 1618	48124	18900	24570	1512	44892	3142x1	3142
1.8.16 to 30.11.16	20220	26286	13%2629	49135	18900	24570	2457	45927	3208x4	12832
									Total	**48966**

उक्त वर्णित अनियमितता कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 210/2018 दिनांक 28.08.2018 द्वारा लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ने पत्र संख्या 960 दिनांक 19.09.2018 द्वारा सूचित किया है कि श्री मनोज कुमार, गुप्ता, कनिष्ठ सहायक को जो वेतन का अधिक भुगतान हुआ था उसकी गणना के उपरान्त ₹48966 की राशि रसीद संख्या–7/352 दिनांक 13.09.2018 द्वारा वसूल कर ली गई है तथा जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 185 पर दर्ज है। अतः वर्णित तथ्यों की पुष्टि अंकेक्षण में भी कर ली गई है।

(ख) श्री हर्षित शर्मा, लिपिक

श्री हर्षित शर्मा, लिपिक की सेवा पुस्तिका का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक 25.09.1998 को हुई थी तथा दिनांक 25.09.2006 को 8 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त 1st ACPS का लाभ व दिनांक 1.10.2012 से उन्हें लिपिक पद की संशोधित ग्रेड पे ₹3200 प्रदान की गई थी। तदोपरान्त दिनांक 25.9.2016 को भी उन्हें ACPS का लाभ प्रदान किया गया जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्याः Fin (PR)-B (7)-59/2010 Loose दिनांक 3.11.2016 द्वारा जारी अनुदेशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः नगर परिषद द्वारा जो वेतन निर्धारण किया गया और नियमानुसार जो वेतनमान निर्धारित किया जाना चाहिए था, उसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनांक	**वेतन वास्तव में भुगतान किया गया**			**देय वेतन**			**अन्तर (₹)**	**टिप्पणी**
	Pay (₹)	**GP (₹)**	**Total (₹)**	**Pay (₹)**	**GP (₹)**	**Total (₹)**		
1.9.16	12010	3200	15210	12010	3200	15210	0	
25.9.16	12470	3600	16070	12010	3200	15210	860	ACPS given wrongly as

								grade pay of clerk was revised w.e.f. 1.10.12 to ₹3200
1.9.17	12960	3600	16560	12470	3200	15670	890	A.I.

Note:- 1st ACPS was given on 25.9.06, 2nd ACPS was due on 27.8.2009 and pay was to be fixed notionaly upto 8.8.12. However 2nd ACPS was not given to employee, Keeping in view these facts 2nd enhancement in pay was due to revision of grade pay of clerk to ₹3200 w.e.f 1.10.12 and 3rd ACPS given wrongly on 25.9.16.

अतः उक्त वर्णित अनियमितता के परिणामस्वरूप निम्नविवरणानुसार ₹39592 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया है जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से वेतन संशोधन उपरान्त वर्णित अधिक भुगतान राशि की नियमानुसार सम्बन्धित से वसूली सुनिश्चित की जाएः–

	Drawn				**Due**					
Period	**BP (₹)**	**DA (₹)**	**IR (₹)**	**Total (₹)**	**BP (₹)**	**DA (₹)**	**IR (₹)**	**Total (₹)**	**Period**	**Amt. Excess Paid (₹)**
25.09.16 to 30.09.16	16070	20891	2089	39050	15210	19773	1977	36960	2090÷30=69.60x 6 days	418
1.10.16 to 31.12.16	16070	20891	2089	39050	15210	19773	1977	36960	2090x3=	6270
1.1.17 to 30.6.17	16070	@ 134% 21534	2089	39693	15210	20381	1977	37568	2125x6=	12750
1.7.17	16070	137% 22016	2089	40175	15210	20838	1977	38025	2150x1=	2150
1.8.17	16070	22016	17% 2732	40818	15210	20838	2586	38634	2184x1=	2184
1.9.17 to 31.3.18	16560	137% 22687	17% 815	42062	15670	21468	2664	39802	2260x7	15820
									Total	**39522**

उक्त अनियमितता कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्याः 212/2018 दिनांक 29.08.2018 द्वारा लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ने पत्र संख्याः 961 दिनांक 19.09.2018 द्वारा सूचित किया है कि श्री हर्षित शर्मा, लिपिक को जो वेतन व भतों का अनियमित भुगतान हुआ है उनकी गणना कर ली गई है तथा जिसकी वसूली करने के पश्चात अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

(ग) श्री जगजीत कुमार, चपड़ासी

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री जगजीत कुमार, चपड़ासी की नियुक्ति दिनांक 01.04.1998 को हुई थी। उन्हें 1st ACPS का लाभ दिनांक 1.4.2006 को आठ वर्ष का सेवा काल पूर्ण करने के उपरान्त प्रदान किया गया था तथा तदोपरान्त New ACPS Scheme के अन्तर्गत उन्हें 2nd ACPS 9 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 28.8.2009 को तथा 3rd ACPS का लाभ 14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 1.4.2012 को प्रदान किया गया जोकि दिनांक 8.8.2012 तक Notional आधार पर तथा दिनांक 9.8.2012 से वास्तविक वित्तीय लाभ का भुगतान किया गया था परन्तु दिनांक 01.04.2014 से 3rd ACPS का लाभ प्रदान करने पर वेतन का गलत निर्धारण किया गया। अतः दिनांक 01.04.13 से कर्मचारी को देय वेतन का निर्धारण एवं भुगतान किये गये वेतन का विवरण निम्नलिखित हैः–

Period	**Basic Pay Due (₹)**			**Basic Pay Granted (₹)**	**Difference (₹)**
	Pay	**GP**	**Total**		
01.04.13	9210	1900	11110	11110	0
01.04.14	9550	1900	11450	12220 (10320+1900)	770
01.04.15	9900	1900	11800	12590 (10690+1900)	790
01.04.16	10260	1900	12160	12970 (11070+1900)	810
01.04.17	10630	1900	12530	13360 (11460+1900)	830
01.04.18	11010	1900	12910	13760 (11860+1900)	850

अतः दिनांक 01.04.14 को कर्मचारी का गलत वेतन निर्धारण करने के परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹99460 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से

वेतन संशोधन उपरान्त वर्णित अधिक भुगतान राशि की नियमानुसार सम्बन्धित से वसूली सुनिश्चित की जाएः—

	Drawn (₹)				**Due (₹)**					
Period	**BP**	**DA**	**IR**	**Total**	**BP**	**DA**	**IR**	**Total**	**Diff.**	**Amt. Excess Paid**
1.4.14 to 30.6.14	12220	12220	0	24440	11450	100% 11450	0	22900	1540x3=	4620
1.7.14 to 31.12.14	12220	107% 13076	0	25296	11450	107% 12252	0	23702	1594x6=	9564
1.1.15 to 31.3.15	12220	113% 13809	0	26029	11450	113% 12939	0	24389	1640x3=	4920
1.4.15 to 30.6.15	12590	113% 14227	0	26817	11800	113% 13334	0	25134	1683x3=	5049
1.7.15 to 31.12.15	12590	119% 14983	0	27573	11800	119% 14042	0	25842	1731x6=	10386
1.1.16 to 31.3.16	12590	125% 15738	8% 1008	29336	11800	125% 14750	8% 944	27494	1842x3=	5526
1.4.16 to 30.6.16	12970	125% 16213	1038	30221	12160	15200	973	28333	1888x3=	5664
1.7.16	12970	130% 16861	1038	30869	12160	130% 15808	973	28941	1928x1	1928
1.8.16 to 31.12.16	12970	16861	13% 1687	31518	12160	15808	13% 1581	29549	1969x5=	9845
1.1.17 to 31.3.17	12970	134% 17380	1687	32037	12160	134% 16295	1581	30036	2001x3=	6003
1.4.17 to 30.6.17	13360	134% 17903	13% 1737	33000	12530	134% 16791	13% 1629	30950	2050x3=	6150
1.7.17	13360	137% 18304	1737	33401	12530	137% 17167	1629	31326	2075x1=	2075

1.8.17 to 31.8.17	13360	18304	17% 2272	33936	12530	17167	17% 2131	31828	2108x8	16864
1.4.18 to 30.6.18	13760	18852	2340	34952	12910	17687	2195	32792	2160x3=	6480
1.7.18 to 31.8.18	13760	18852	21% 2890	35502	12910	17687	21% 2712	33309	2193x2=	4386
									Total	**99460**

उक्त अनियमितता कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्याः 216/2018 दिनांक 30.08.18 द्वारा लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ने पत्र संख्याः 962 दिनांक 19.09.2018 द्वारा सूचित किया है श्री जगजीत कुमार, चपड़ासी को वेतन व भत्तों का जो अनियमित भुगतान हुआ है उसकी गणना कर ली गई है तथा जिसकी वसूली करने के पश्चात अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

(घ) (i) श्रीमति कमलेश कुमारी, सफाई कर्मचारी

श्रीमती कमलेश कुमारी, सफाई कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक 23.08.2007 को हुई थी एवं दिनांक 23.08.2011 को 4 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त 1st ACPS का लाभ तथा दिनांक 1.10.2012 से उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संशोधित ग्रेड पे ₹1650 का लाभ प्रदान किया गया था। तदोपरान्त दिनांक 23.8.2016 व 1.10.17 को भी उन्हें 9 व 14 वर्ष की ACPS का लाभ प्रदन किया गया जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार वित विभाग के पत्र संख्याः Fin (PR)-B(7)-59/2010 Loose दिनांक 3.11.2016 द्वारा जारी अनुदेशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि दिनांक 23.8.16 व 1.10.17 की अपेक्षा उन्हें केवल एक ACPS का लाभ 14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त देय होगा। अतः वर्णित अनियमितता के कारण नगर परिषद द्वारा जो वेतन निर्धारण किया गया और नियमानुसार जो वेतनमान निर्धारित किया जाना चाहिए था, उसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

दिनांक	वेतन वास्तव में भुगतान किया गया			देय वेतन (₹)			अन्तर (₹)	टिप्पणी
	Pay	**GP**	**Total**	**Pay**	**GP**	**Total**		
1.8.16	7120	1650	8770	7130	1650	8780	-10	
23.8.16	7390	1650	9040	7130	1650	8780	260	ACPS given wrongly from this date as grade pay of class iv employee was revised & granted w.e.f. 1.10.12 for ₹1650
1.8.17	7390	1650	9040	7400	1650	9050	-10	A.I.
01.10.17	7670	1900	9570	7400	1650	9050	520	ACPS not admissible from this date
1.8.18	7970	1900	9870	7680	1650	9330	540	

उक्त वर्णित अनियमितता के परिणामस्वरूप निम्नविवरणानुसार कर्मचारी को ₹21745 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से वेतन संशोधन उपरान्त वर्णित अधिक भुगतान राशि की नियमानुसार सम्बन्धित से वसूली सुनिश्चित की जाएः–

Period	**Drawn (₹)**				**Due (₹)**				**Diff.**	**Amt. Excess Paid (₹)**
	BP	**DA @ 130 %**	**IR 13 %**	**Total**	**BP**	**DA @ 13%**	**IR**	**Total**		
01.08.16 to 22.08.16	8770	11401	1140	21311x22/31=15124	8780	11414	1141	21335x22/31=15141	-17	-17
23.8.16 to 31.8.16	9040	11752	1175	21967x9/31=637	8780	11414	1141	21335x9/31=56194	184	184
1.9.16	9040	130%	1175	21967	8780	11414	1141	21335	632x4=2528	2528

to 31.12.16		11752								
1.1.17 to 31.7.17	9040	134% 12114	1175	22329	8780	11765	1141	21686	643x6=	3858
1.7.17 to 31.7.17	9040	137% 12385	1175	22600	8700	12029	1141	21950	650x1=	650
1.8.17 to 30.9.17	9040	12385	17% 1537	22962	9050	12399	1539	22988	26x2=52 (-)	-52
1.10.17 to 31.7.18	9570	13111	1627	24308	9050	12399	1539	22988	1320x10=	13200
01.08.18 to 31.08.18	9870	13522	2073	25465	9330	12782	1959	24071	1394x1=	1394
									Total	**21745**

उक्त अनियमितता कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 215/2018 दिनांक 30.08.2018 द्वारा लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने पत्र संख्या 964 दिनांक 19.09.2018 द्वारा सूचित किया है कि श्रीमती कमलेश कुमारी, सफाई कर्मचारी को वेतन व भतों का जो अनियमित भुगतान हुआ है उसकी गणना कर ली गई है जिसकी वसूली करने के पश्चात अंकेक्षण को अवगत करवाया दिया जायेगा।

(ङ) चतुर्थ श्रेणी का गलत वेतन निर्धारित करना

निम्न वर्णित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक 21.08.07 को हुई थी एवं दिनांक 21.08.11 को 4 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त 1st ACPS का लाभ तथा दिनांक 1.10.12 से उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेशोधित ग्रेड पे ₹1650 का लाभ प्रदन किया गया था। तदोपरान्त दिनांक 21.8. 2016 व 1.10.17 को भी उन्हें 9 व 14 वर्ष की ACPS लाभ प्रदन किया गया जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin (PR)-B (7)-59/2010 Loose दिनांक 3.11.16 द्वारा जारी अनुदेशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि दिनांक 23.8.16 व 1.10.17 को प्रदत्त लाभ की अपेक्षा उन्हें केवल एक ACPS लाभ 14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर देय

होगा। अतः वर्णित अनियमितता के कारण नगर परिषद द्वारा जो वेतन निर्धारण किया गया और नियमानुसार जो वेतनमान निर्धारित किया जाना चाहिए था, उसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**कर्मचारी का नाम व पद**
1	श्री अजीत सिंह बेलदार
2	श्री बलदेव सिंह बेलदार
3	श्री राज कुमार बेलदार

दिनांक	**वेतन वास्तव में भुगतान किया गया (₹)**			**देय वेतन (₹)**			**अन्तर (₹)**	**टिप्पणी**
	Pay	**GP**	**Total**	**Pay**	**GP**	**Total**		
1.8.16	7120	1650	8770	7130	1650	8780	–10	
21.8.16	7390	1650	9040	7130	1650	8780	260	ACPS given wrongly from this date as grade pay of class iv employee was revised & granted .w.ef. 1.10.12 for ₹1650
1.8.17	7390	1650	9040	7400	1650	9050	–10	A.I.
1.10.17	7670	1900	9570	7400	1650	9050	520	ACPS not admissible on this date
1.8.17	7970	1900	9870	7680	1650	9330	540	

उक्त वर्णित अनियमितता के परिणामस्वरूप तीनों कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार ₹65364 (21788X3) के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया, जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से वेतन संशोधित करके वर्णित अधिक भुगतान राशि की नियमानुसार सम्बन्धित से वसूली सुनिश्चित की जाएः–

Period	Drawn (₹)				Due (₹)				Diff.	Amt. Excess paid (₹)
	BP	DA	IR	Total	BP	DA	IR	Total		
1.8.16 to 20.8.16	8770	130% 11401	1140	21311x20/31=13749	8780	11414	1141	21335x20/31=13764	-15	-15
21.8.16 to 31.8.16	9040	11752	1175	21967x11/31=7795	8780	11414	1141	21335x11/31=7570	225	
1.9.16 to 31.12.16	9040	130% 11752	1175	21967	8780	11414	1141	21335	632x4=	2528
1.1.17 to 30.6.17	9040	134% 12114	1175	22329	8780	11765	1141	21686	643x6=	3858
1.7.17 to 31.7.17	9040	137% 12385	13% 1175	22600	8780	12029	1141	21950	650x1=	650
1.8.17 to 30.9.17	9040	12385	17% 1537	22962	9050	12399	1539	22988	26x2	-52
1.10.17 to 31.7.18	9570	13111	1627	24308	9050	12399	1539	22988	1320x10	13200
1.8.18 to 30.8.18	9870	13522	2073	25465	9330	12782	1959	24071	1394x1	1394
								Total		21788

उक्त अनियमितता कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 213/2018 दिनांक 29.08.2018 द्वारा लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ने पत्र संख्याः 963 दिनांक 19.09.2018 द्वारा सूचित किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन व भत्तों का जो अनियमित भुगतान हुआ है उसकी गणना कर ली गई है तथा जिसकी वसूली करने के पश्चात अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

(च) श्रीमति परमजीत, सफाई कर्मचारी

श्रीमती परमजीत, सफाई कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि उन की नियुक्ति दिनांक 01.01.1998 को हुई थी एवं दिनांक 01.01.2006 से लागू संशोधित वेतनमानों में उनका वेतन गलत निर्धारण करने के फलस्वरूप उन्हें अवधि 1.1.2006 से 31. 12.2017 तक वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था क्योंकि दिनांक 01.01.2018 से नगर परिषद ने अपने स्तर पर ही वेतन को संशोधित करके उन्हें वास्तव में देय उचित वेतन का भुगतान किया था, जिसकी पुष्टि इनकी सेवा पंजिका में अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है। अतः गलत वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 01.01.2006 से देय वेतन एवं भुगतान किये गये वेतन का विवरण निम्नलिखित हैः–

Date of appointment; 01.01.1998

Basic Pay on 31.12.2005 ₹3330

Revised Basic Pay on 01.01.2006 ₹7500

Period	Notional Pay (₹)	Basic Pay Due (₹)			Basic Pay Drawn granted (₹)	Diff. (₹)
		PAY	GP	Total		
01.01.06 after granting annual increment	--	--	--	7730	--	--
01.01.06 (ACPS after 8 years service)	--	6670	1400	8070	8290	220
01.01.07	--	6920	1400	8320	8540	220
01.01.08	--	7170	1400	8570	8800	230
01.01.09	--	7430	1400	8830	9070	240
28.08.09 (Notional) New ACPS 9 Years	9350 (7700 + 1650)	7430	1400	8830	9070	240
01.01.10	9630	7700	1400	9100	9350	250
01.01.11	9920	7980	1400	9380	9630	250
01.01.2012	10220	8270	1400	9670	9920 (8620+1300)	250
01.01.12 (Notional) New ACPS 14 Years	10780 (8880+1900)	8270	1400	9670	9920	---
09.08.12		8880	1900	10780	11450 (9550+1900)	670
01.01.13		9210	1900	11110	11800	690
01.01.14		9550	1900	11450	12160	710
01.01.15		9900	1900	11800	12530	730
01.01.16		10260	1900	12160	12910	750
01.01.17		10630	1900	12530	13300	770
01.01.18		11010	1900	12910	12910	0

उक्त वर्णित अनियमितता के परिणामस्वरूप उन्हें निम्नविवरणानुसार ₹125438 के वेतन व भत्ते का अधिक भुगतान किया गया जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान राशि की नियमानुसार सम्बन्धित से वसूली सुनिश्चित की जाएः–

	Drawn (₹)				**Due (₹)**				**Diff. (₹)**	**Amt. Excess paid (₹)**
Period	**BP**	**DA**	**IR**	**Total**	**BP**	**DA**	**IR**	**Total**		
1.1.06 to 30.6.06	8290			8290	8070	0		8070	220x6=	1320
1.7.06 to 31.12.06	8290	166		8456	8070	161		8231	225x6=	1350
1.1.07 to 30.6.07	8540	512		9052	8320	499		8819	233x6=	1398
1.7.07 to 31.12.07	8540	769		9309	8320	749		9069	240x6=	1440
1.1.08 to 30.6.08	8800	1056		9856	8570	1028		9598	258x6=	1548
1.7.08 to 31.12.08	8800	1408		10208	8570	1371		9941	267x6=	1602
1.1.09 to 30.6.09	9070	1995		11065	8830	1943		10773	292x6=	1752
1.7.09 to 27.8.09	9070	2449		11519	8830	2384		11214	305+266	571
28.8.09 to 31.8.09	9070	2449		11519	8830	2384		11214	305x4/31=	39
1.9.09 to 31.12.09	9070	2449		11519	8330	2384		11214	305x4=	1220
1.1.10 to 30.6.10	9350	3272		12622	9100	3185		12285	337x6=	2022
1.7.10 to 31.12.10	9350	4207		13557	9100	4095		13195	362x6=	2172
1.1.11 to 30.6.11	9630	4911		14511	9380	4784		14164	347x6	2082
1.7.11 to 31.12.11	9630	5585		15215	9380	5440		14820	395x6=	2370
1.1.12 to 30.6.12	9920	6448		16368	9670	6286		15956	412x6=	2472
1.7.12 to 8.8.12	9920	7142		17062	9670	6962		16632	430x1430x8 /31	430111
9.8.12 to 31.8.12	11450	8244		19694	10780	7762		18542	1152x23/31	855
1.9.12 to 31.12.12	11450	8244		19694	10780	7762		18542	1152x4=	4608

1.1.13 to 30.6.13	11800	9440		21240	11110	8888		19998	1242x6=	7452
1.7.13 to 31.12.13	11800	10620		22420	11110	9999		21109	1311x6	7866
1.1.14 to 30.6.14	12160	12160		24320	11450	11450		22900	1420x6=	8520
107% 1.7.14 to 31.12.14	12160	13011		25171	11450	12252		23702	1469x6=	8814
113% 1.1.15 to 30.6.15	12530	14159		26689	11800	13334		25134	1555x6	9330
119% 1.7.15 to 31.12.15	12530	14911		27441	11800	14042		25842	1599x6=	9594
125% 1.1.16 to 30.6.16	12910	16138	1033	30081	12160	16173		28333	1748x6=	10488
130% 1.7.16 to 31.7.16	12910	16783	1033	30726	12160	15808	8% 973	28941	1785x1=	1785
1.8.16 to 31.12.16	12910	16783	1678	31371	12160	15808	13% 1581	29549	1822x5=	9110
1.1.17 to 30.6.17	13300	17822	1729	32851	12530	16790	1629	30949	1902x6=	11412
1.7.17 to 30.6.17	13300	18221	1729	33250	12530	17166	1629	31325	1925x1=	1925
1.8.17 to 31.12.17	13300	18221	2261	33782	12530	17166	17% 2130	31826	1956x5=	9780
								Total		125438

उक्त अनियमितता कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्याः 211/2018 दिनांक 28.08.2018 द्वारा लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ने पत्र संख्याः 966 दिनांक 19.09.2018 द्वारा सूचित किया है कि श्रीमति परमजीत, सफाई कर्मचारी को वेतन व भत्तों का जो अनियमित भुगतान हुआ है उसकी गणना कर ली गई है तथा जिसकी वसूली करने के प्श्चात अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

(छ) श्री राम चन्द, सफाई कर्मचारी

श्री राम चन्द, सफाई कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक 27.07.2007 को हुई थी एवं दिनांक 27.07.2011 को 4 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त 1st ACPS का लाभ तथा दिनांक 1.10.2012 से उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संशोधित ग्रेड पे ₹1650 का लाभ प्रदान किया गया था। तदोपरान्त दिनांक 26.7.2016 व 01.10.17 को भी उन्हें 9 व 14 वर्ष की ACPS का लाभ प्रदना किया गया जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्याः Fin (PR)-B(7)-59/2010 Loose

3.11.2016 द्वारा जारी अनुदेशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि दिनांक 26.7.16 व 1.10.17 को प्रदत्त लाभ की अपेक्षा उन्हें केवल एक ACPS लाभ 14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर देय होगा। अतः वर्णित अनियमितता के कारण नगर परिषद द्वारा जो वेतन निर्धारण किया गया और नियमानुसार जो वेतनमान निर्धारित किया जाना चाहिए था, उसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनांक	वेतन वास्तव में भुगतान (₹)			देय वेतन (₹)			अन्तर (₹)	टिप्पणी
	Pay	GP	Total	Pay	GP	Total		
1.7.16	7120	1650	8770	7130	1650	8780	–10	
26.7.16	7390	1650	9040	7130	1650	8780	260	ACPS given wrongly from this date as grade pay of class iv employee was revised w.e.f 1.10.2012 for ₹1650
1.7.17	7390	1650	9040	7400	1650	9050	–10	A.I
1.10.17	7670	1900	9570	7400	1650	9050	520	ACPS not admissible on this date
1.7.18 से 31.8.18	7970	1900	9870	7680	1650	9330	540	

उक्त वर्णित अनियमितता के परिणामस्वरूप उन्हें निम्न विवरणानुसार ₹22388 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया, जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से वेतन संशोधन उपरान्त अधिक भुगतान राशि की नियमानुसार सम्बन्धित से वसूली सुनिश्चित की जाएः–

Period	DRAWN (₹)				DUE (₹)				Diff. (₹)	Amt. Excess Paid (₹)
	BP	DA	IR	Total	BP	DA	IR	Total		
1.7.16 to 25.7.16	8770	11401	1141	21311x25/31=17186	8780	11414	1141	21335x25/31=17205	-19	-19

26.7.16 to 31.7.16	9040	11752	1175	21967x6/31 =4252	8780	11414	1141	21335x6/31 =4129	123	123
1.8.16 to 31.12.16	9040	130% 11752	1175	21967	8780	11414	1141	21335	632x5=2 528	3160
1.1.17 to 30.6.17	9040	134% 12114	1175	22329	8780	11765	1141	21686	643x6=	3858
1.7.17 to 31.7.17	9040	137% 12385	1175	22600	8780	12029	1141	21950	650x1=	650
1.8.17 to 30.9.17	9040	12385	17% 1537	22962	9050	12399	1539	22988	26x2=	-52
1.10.17 to 30.6.18	9570	13111	1627	24308	9050	12399	1539	22988	1320x9	11880
1.7.18 to 31.7.18	9870	13522	2073	25465	9330	12782	1586	24071	1394x2=	2788
								Total		**22388**

उक्त अनियमितता कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्याः 214/2018 दिनांक 29.08.2018 द्वारा लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ने पत्र संख्याः 965 दिनांक 19.09.2018 द्वारा सूचित किया है कि राम चन्द, सफाई कर्मचारी वेतन व भत्तों का जो अनियमित भुगतान हुआ है उसकी गणना कर ली गई है तथा जिसकी वसूली करने के पश्चात अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

13 नियमों के प्रतिकूल करूणामूलक आधार पर चपड़ासी के पद पर नियमित नियुक्ति करना

अंकेक्षण में पाया गया कि स्वर्गीय श्री संदीप कुमार नगर परिषद में चपड़ासी के नियमित पद पर तैनात थे उतथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती अनु बाला को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के कार्यालय आदेश संख्याः 14–C/MCS/2016-2451-53 दिनांक 19.12.2016 द्वारा वेतनमान ₹4900–₹10680+1400 ग्रेड पे में करूणामूलक आधार पर चपड़ासी के पद पर नियमित नियुक्ति प्रदान की गई। निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः UD-H (B)(2)-5/2003-MISC.21951-22006 दिनांक 24.11.2016 के द्वारा सेवारत कर्मचारी की मृम्त्यु के उपरान्त मृतक के आश्रित को करूणामूलक आधार पर नियुक्ति देने के लिए नगर परिषदों को शक्तियाँ प्रदान की गई तथा दिशा निर्देश जारी किये गये कि "That

the Compassionate appointment should be made strictly, Keeping in view the policy of compassionate employment pronounced by the State Govt." जिस के अनुसार चतुर्थ श्रेणी पद के विरूद्ध करूणामूलक आधार पर नियुक्ति दैनिक भोगी (Daily Wages) दर पर ही की जा सकती है। अतः वर्णित प्रकरण में हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के प्रतिकूल नियमित नियुक्ति प्रदान करना अनियमित है। वर्णित अनियमितता कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्याः 233/2018 दिनाक 18.09.2018 द्वारा लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने पत्र संख्याः 980 दिनांक 19.09.2018 द्वारा सूचित किया कि करूणामूलक आधार पर चपड़ासी के पद पर की गई नियमित नियुक्ति बारे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/नियमों के तहत आगामी निर्णय लिया जायेगा।

अतः वर्णित प्रकरण में पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

14 Pension & Gratuity निधि से Leave encashment की राशि का भुगतान करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित सेवानिवृति कर्मचारियो को Pension & Gratuity निधि से अर्जित अवकाश भुनाने (Earned Leave encashment) की राशि ₹811600 का भुगतान किया गया था परन्तु शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः UD-H(B)(10)-3/2002-V-1 दिनांक 21.4.2014 के अनुसार The benefit of encashment of leave salary is not a part of retirement benefits admissible under CCS (Pension) rules, 1972. It is payable in terms of CCS leave Rules 1972 which will continue to be applicable to the government servant on or after 15.5.2003. The Section 16 of H.P. Municipal Act 1994 held the Municipal Employees entitled for pay/perks/allowances at par with State Government." अतः उक्त पत्र के दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सेवानिवृत कर्मचारियों को Pension & Gratuity निधि से भुगतान की गई Leave Encashment की राशि पैन्शन निधि पर उचित प्रभार नहीं हैः–

वा0सं0	मास	सेवानिवृत कर्मचारी का नाम	अर्जित अवकाश भुनाने की भुगतान राशि (₹)
31	2/2017	श्री राजकिशन शर्मा	703120
13	8/2017	श्रीमती अनुवाला पत्नी स्वर्गीय श्री संदीप कुमार	108480
		योग	**811600**

उक्त वर्णित अनियमितता को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 230/2018 दिनांक 14.09.2018 द्वारा लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ने पत्र संख्याः 981 दिनांक 19.09.2018 द्वारा सूचित किया कि वाउचर संख्या 31 माह 02/2017 व वाचउर संख्या माह 8/2017 द्वारा सेवा निवृत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश भुनाने की राशि ₹811600 दिनांक 19.09.2018 को नगर परिषद निधि से पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि को हस्तांतरित कर दी गई है जोकि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 13 दिनांक 19.09.18 पर दर्ज है। अतः वर्णित तथ्यों की पुष्टि अंकेक्षण में भी कर ली गई है।

15 गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹1.02 लाख का अधिक भुगतान

Name of Work R/O road and side drain in bus stand to main bazaar, Sujanpur.

Award Amt. ₹1324726

Award letter Mo. NP/MC/Work/2016-1919 dated 12.09.16

Name of Contractor Sh. Japan Singh

Measurement Books 48 Page 1 to 9

नगर परिषद द्वारा निष्पादित उक्त निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार को किये गये भुगतान का विस्तृत अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका में कार्य मद संख्या 1 "Demolition below ground level" तथा कार्य मद संख्या 2 "P/L CC 1:6:12" की दर्ज निष्पादित कार्य प्रमात्रा में से सड़क पर पहले से ही डाले गए SLABS तथा MANHOLES की मात्रा एक समान रूप से ही घटाई गई थी जोकि उचित थी किन्तु इस के उपरान्त निष्पादित कार्य मद संख्या 7 “P/L Heavy duty precast concrete interlocking paver blocks” की कार्य प्रमात्रा में से SLABS की कार्य मात्रा तो घटा दी गई थी परन्तु MANHOLES की मात्रा न घटाने के फलस्वरूप संविदाकार को निम्नविवरण अनुसार 102.66 (137.68–35.02) वर्ग मीटर मात्रा के लिए ₹990 प्रति वर्गमीटर की दर से ₹101633 (102.66x990) का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पूर्ण छानबीन उपरान्त वर्णित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाएः–

मद संख्या 2 "P/L CC 1:6:12" जिसकी मोआईThickness.125 Metre है में से घटाई गई SLABS तथा Manholes की मात्रा	मद संख्या 7 "P/L Heavy duty precast concrete interlocking paver blocks" में से वास्तव में SLABS तथा Manholes की घटाई जाने वाली मात्रा	वास्तव में "P/L Heavy duty precast concrete interlocking paver blocks" में से घटाई xbZ SLABS तथा Manholes की मात्रा	"P/L Heavy Duty Precast concrete interlocking paver blocks में से कम घटाई गई SLABS तथा Manholes की मात्रा	अधिक भुगतान राशि (₹)
17.21 घन मीटर	17.21.....=137.68 वर्गमीटर .125	35.02 वर्ग मीटर	102.66 वर्गमीटर	102.66m2@₹990 per m2= ₹101633

उक्त वर्णित अनियमितता कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 232/2018 दिनांक 18.09.2018 द्वारा लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने पत्र संख्या 971 दिनांक 19.9.2018 के द्वारा सूचित किया कि निर्माण कार्य मद संख्या 7 में ठेकेदार को अधिक भुगतान हुआ है उसकी वसूली करके अनुपालना रिपोर्ट आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी। अतः सूचनानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान

Name of Work	R/O Street from house of Sh. Madan Lal in ward-9
Award Amt.	₹242528
Award letter No.	NP/MC/Work/2016-1825-30 dated 12.09.16
Name of Contractor	Sh. Rajesh Kumar
Measurement Books	47 Page 89 to 93
Vr.No.	493 dated 07/17

नगर परिषद द्वारा ठेकेदार को उक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु वाउचर संख्या 493 मास 7/2017 के अन्तर्गत किये गये भुगतान का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि मद संख्या 3 "P/L heavy duty precast concrete inter locking paver (60mm)" की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गलत गणना करने के कारण निम्न विवरणानुसार 1.15 वर्ग मीटर के लिए ₹1150 प्रति वर्ग मीटर की दर से संविदाकार को कुल ₹1323 (1.15m2x₹1150) का अधिक भुगतान किया गया थाः–

गणना ली गई	उचित गणना	अधिक भुगतान कार्य प्रमात्रा
$1x8.20x\frac{2.80+2.30}{2}=20.91$ वर्ग मीटर	$1x8.20x\frac{2.80+2.30}{2}=20.91$ वर्ग मीटर	0
$1x15x\frac{2.40+2.70}{2}=38.25$ वर्ग मीटर	$1x15x\frac{2.30+0+2.70}{2}=37.50$ वर्ग मीटर	0.75 वर्ग मीटर
$1x15x\frac{2.40+3.40}{2}=43.90$ वर्ग मीटर	$1x15x\frac{2.40+3.40}{2}=43.50$ वर्ग मीटर	0.40 वर्ग मीटर
	योग	**1.15 वर्ग मीटर**

उक्त वर्णित अनियमितता कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 217/2018 दिनांक 30.08.2018 द्वारा लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ने पत्र संख्याः 974 दिनांक 19.09.2018 द्वारा सूचित किया कि ₹1323 की वसूली जी–8 संख्या–4/352 दिनांक 10.09.2018 द्वारा कर ली गई है जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 183 पर दर्ज है। अतः वर्णित तथ्यों पुष्टि अंकेक्षण में भी कर ली गई है।

17 गलत दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान

Name of Work R/O Street from house of Sh. Tulsi Ram to house of Sh. Raja Ram, ward -4

Award Amt./ ₹200497

Award letter No. NP/MC/Works/2016-1770-1775 dated 12.09.16

Name of Contractor Sh. Japan Singh

Measurement Books 47 Page 68

Vr.No. 490 dated 07/2017

नगर परिषद द्वारा ठेकेदार को उक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु वाउचर संख्या 490 मास 7/2017 के अन्तर्गत किये गये भुगतान का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य मद संख्या 1 “Exacavatiopn/Demolition below GL upto all depth in all kind of soil” की दर संविदाकार द्वारा अपनी निविदा/Negotiation में ₹280 प्रति घन मीटर अनुबन्धित की गई थी परन्तु भुगतान ₹300 प्रति घन मीट की दर से किया गया जिसके कारण वर्णित कार्य मद की कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा 31.85 घन मीटर के लिए संविदाकार को ₹637

(31.85x20) का अधिक भुगतान किया गया था जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पूर्ण छानबीन उपरान्त वर्णित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

उक्त वर्णित अनियमितता कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 227/2018 दिनांक 14.9.2018 द्वारा लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने पत्र संख्या 979 दिनांक 19.09.2018 द्वारा सूचित किया कि ठेकेदार से वर्णित अधिक भुगतान की वसूली करके अनुपालना रिपोर्ट आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी। अतः प्रत्युत्तर अनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 गलत दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹0.02 लाख अधिक भुगतान

Name of Work P/F of street light poles in Municipal Council-Sujanpur

Award Amt. ₹90939

Award letter no. NP/MC/Work/2016-1800-18054 dated 12.09.16

Name of Contractor Sh.Ajay Chadha

Measurement Books 47 Page 3 to 5

Vr. No. 1184 dated 12/2016

नगर परिषद द्वारा ठेकेदार को उक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु वाउचर संख्या 1184 मास 7/2017 के अन्तर्गत किये गये भुगतान का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य मद संख्या 1 "Exacavation/Demolition below GL upto all depth in all kind of soil" की दर संविदाकार द्वारा अपनी निविदा/Negotiation में ₹300 प्रति घन मीटर अनुबन्धित की गई थी परन्तु भुगतान ₹380 प्रति घन मीटर की दर से किया गया जिसके कारण वर्णित कार्य मद की निष्पादित कुल कार्य प्रमात्रा 29.16 घन मीटर के लिए संविदाकार को ₹2333 (29.16x80) का अधिक भुगतान किया गया था जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पूर्ण छानबीन उपरान्त वर्णित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

यह अनियमितता कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 229/2018 दिनांक 14.09.2018 द्वारा लाई गई थी जिसके प्रत्युतर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने पत्र संख्या 970 दिनांक 19.09.2018 द्वारा सूचित किया कि ठेकेदार से वर्णित अधिक भुगतान की वसूली करके अनुपालना रिपोर्ट आगामी

अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी। अतः प्रस्तुत प्रत्युत्तर अनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 गलत दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान

Name of WorkR/O Retaining wall Govt. Degree college, MC-Sujanpur

Award Amt. ₹250000

Award Letter No. NP/MC/Work/2016-1871-76 dated 12.09.16

Name of Contraactor Sh. Japan Singh

Measurement Books 47 Page 29 to 34

Vr.No. 1247 dated 12/2016

नगर परिषद द्वारा ठेकेदार को उक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु वाउचर संख्या 1247 मास 7/2017 के अन्तर्गत किये गये भुगतान का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य मद संख्या 1 "Eaxacavation/Demolition below GL upto all depth in all kind of soil" की दर संविदाकार द्वारा अपनी निविदा/Negotiation में ₹240 प्रति घन मीटर अनुबन्धित की गई थी परन्तु भुगतान ₹300 प्रति घन मीटर की दर से किया गया जिसके कारण वर्णित कार्य मद की कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा 58.21 घन मीटर के लिए संविदाकार को ₹3493 (58.21x60) का अधिक भुगतान किया गया था जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पूर्ण छानबीन उपरान्त वर्णित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

यह अनियमितता कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 228/2018 दिनांक 14.09.2018 द्वारा लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने पत्र संख्या 968 दिनांक 19.09.2018 द्वारा सूचित किया कि ठेकेदार से वर्णित अधिक भुगतान की वसूली करके अनुपालना रिपोर्ट आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी। अतः प्रस्तुत प्रत्युत्तर अनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित की जाए।

20 गलत दर से भुगतान करने के कारण संविदाकार को ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान

Name of Work R/O of road in bus stand to main bazaar in ward No. 1 Phase-II

Award Amt. ₹669950

Award letter No. NP/MC/Work/2017-245-50 dated 28-02-2017

Name of Contractor Sh. Japan Singh

Measurement Books 48 Page 19 to 26

Vr. No. 601 dated 07/2017

नगर परिषद द्वारा ठेकेदार को उक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु वाउचर संख्या 601 मास 7/2017 के अन्तर्गत किये गये भुगतान का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य की मद संख्या 1 "Exacavation/Demolition below GL upto all depth in all kind of soil" की दर संविदाकार द्वारा अपनी निविदा/Negotiation में ₹270 प्रति घन मीटर अनुबन्धित की गई थी परन्तु भुगतान ₹275 प्रति घन मीटर की दर से किया गया था जिसके कारण वर्णित कार्य मद की कुल निष्पादित कार्य प्रमात्रा 123.46 घन मीटर के लिए संविदाकार को ₹617 (123.46x5) का अधिक भुगतान किया गया था जिसका यो तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पूर्ण छानबीन उपरान्त वर्णित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए। यह अनियमितता कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्याः 226/2018 दिनांक 14.09.2018 द्वारा लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने पत्र संख्याः 969 दिनांक 19.09.2018 द्वारा सूचित किया कि ठेकेदार से वर्णित अधिक भुगतान की वसूली करके अनुपालना रिपोर्ट आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी। अतः प्रस्तुत प्रत्युत्तर अनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित की जाए।

21 नगर परिषद द्वारा बिना तत्काल आवश्यकता के ₹3.81 लाख के GI Pipes Poles की खरीद करना

नगर परिषद सुजानपुर ने वाउचर संख्या 688 मास 8/2017 के अन्तर्गत M/S Jawala Industries Sujanpur से बिल संख्याः 1 दिनांक 17.7.2017 के द्वारा GI Pipe Poles का क्रय किया गया था तथा भण्डार रजिस्टर पृष्ठ 5 के अनुसार अंकेक्षण तिथि तक उक्त क्रय GI Pipe Poles का उपयोग नहीं किया गया था जबकि मद को क्रय किए हुए एक वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है। वर्णित तथ्यों से स्पष्ट विदित होता है कि GI Pipe Poles का क्रय बिना तत्काल आवश्यकता के किया गया है जोकि वित्तीय नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि ऐसे में जहाँ ₹380949 की निधि का अवरोधन हुआ है वहीं मदों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। यह अनियमितता

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या 218/2018 दिनांक 30.8.2018 द्वारा लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर मे कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने पत्र संख्या 972 दिनांक 19.09.2018 द्वारा सूचित किया कि जी0आई0 पाईप पोल स्थापित करने का टैन्डर 31.01.2018 को आमन्त्रित किया गया था व 20.07.2018 को नेगोसिएशन करने उपरान्त यह कार्य पत्र क्रमांक संख्या MCS/Works-7199-1B-793 दिनांक 18.02.2018 द्वारा ठेकेदार को अवार्ड कर दिया गया है तथा जी0आई0 पाईप पोल शीघ्र ही स्थापित कर दिए जायेंगे। अतः इस सन्दर्भ में शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार आवश्यकता के अनुरूप ही सामग्री का क्रय उचित समय पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 नगर परिषद द्वारा निक्षेप निर्माण कार्यों हेतु सिंचाई विभांग के पास जमा ₹229.94 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

वर्ष 2016—17 व 2017—18 के अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सिंचाई विभाग को निम्न विवरणानुसार ₹229.94 लाख का भुगतान सुजानपुर शहर में सीवरेज निर्माण कार्य करवाने हेतु किया गया थाः—

Sr.No.	**Date of Deposit**	**Amt. (₹)**	**With whom deposited**	**Purpose of deposit**	**Position of UC**
1	30.4.16	5000000	Eng. N chief I & PH US Club Sheila	Sewerage Scheme	Pending
2	04.07.17	5000000	Eng. N chief I & PH US Club Shimla	Sewerage Scheme	Pending
3	18.08.17	5000000	Eng. N Chief I & PH US Club Shimla	Sewerage Scheme	Pending
4	23.01.18	7994000	Eng. N chief I & PH US Club Shimla	Sewerage Scheme	Pending
Total		**22994000**			

उपरोक्त जारी धन राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र परिषद को अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुए थे। अतः यह प्रकरण निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के ध्यान में विशेष

रूप से लाया जाता है कि ताकि IPH विभाग से उक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सके और यदि कुछ धन राशियों उक्त विभाग के पास अनुपयोग शेष बची है तो उन्हें वापिस मंगवाकर नगर परिषद निधि खाते में जमा करवाया जाए तदानुसार अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

23 कर्मचारियों को ₹0.34 लाख के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का अनियमित भुगतान

चयनित माह 07/2017 के व्यय का विस्तृत अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की गई थी जोकि नियमानुसार देय नहीं थी:—

वा0सं0 व माह	कर्मचारी का नाम	हॉस्पिटल का नाम, जहाँ इलाज करवाया	विवरण	राशि जो भुगतान की गई (₹)	राशि जो देय थी (₹)	राशि जो अधिक भुगतान की गई (₹)	टिप्पणी
582 व 07/17	श्री मनोज गुप्ता, जूनियर अस्सिस्टैंट	विवेकानन्द अस्पताल, पालमपुर	Consultation Fees CT Scan	100 1500	— 800	100 700	
583 व 07/17	श्री मनोज गुप्ता, जूनियर अस्सिस्टैंट	विवेकानन्द अस्पताल, पालमपुर	Consultation Fees	100	—	100	
			Health Package	1400	—	1400	करवाए गये Test का विवरण नहीं दिया गया
			Widal Test	220	60	160	
584 व 07/17	श्रीमति सीनत	फोर्टिस अस्पताल,	Consultation Fees	400	—	400	

	देवी, कलर्क	काँगड़ा					
			Complete blood count	300	200	100	
			Glucouse random	90	30	60	
			Ultrasound	800	100	700	
			Registration Charges	50	–	50	
			Total			3770	

अतः उक्त वर्णित अनियमितता का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पूर्ण छानबीन उपरान्त ₹3770 की उचित स्त्रोत से करके वापिस सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

24 कालातीत धरोहर ₹1.83 लाख को नियमानुसार परिषद की आय में लेखांकित न करना

धरोहर राशि रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया कि माह 09/2016 तक विभिन्न कार्यों की धरोहर राशि ₹183492 नगर परिषद के खाते में शेष जमा थी तथा यह राशि अब CPWD Work Mannual के नियम 21.7 के अनुसार कालातीत हो चुकी थी क्योंकि उक्त वर्णित नियमानुसार किसी कार्य को पूरा करने के 3 वर्ष के भीतर यदि ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि को वापिस प्राप्ति का दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसी राशि को Lapsed Security Deposite मानकर उस संस्था की आय मान ली जाती है। अतः कालातीत धरोहर राशि को आय न मानने का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पूर्ण छानबीन उपरान्त **परिशिष्ट "ङ"** में वर्णित राशि को परिषद की आय में लिया जाना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 भण्डार का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करना

भण्डार अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा विभिन्न भण्डार रजिस्टरों में दर्ज मदों का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था जबकि हिमाचल प्रदेश वितीय नियमावली 1971, खण्ड-1 के नियम 15.17 के अनुसार भण्डार में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना आपेक्षित है। अतः नियमानुसार भण्डार का भौतिक सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब भण्डार का भौतिक सत्यापन करने के अतिरिक्त भविष्य में भी भण्डार का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 लघु आपति विवरणी :- यह अलग से जारी नहीं की गई अपितु सभी लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था ।

27 निष्कर्ष:-लेखों के रख-रखाब में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/-
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-09
फोन नं0-0177-2620881

पृश्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच (2)सी(15)(5) 58/76 खण्ड-3-2042-2043 दिनांक 05.03.2019 शिमला-09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1) निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

हस्ता/-
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-09
फोन नं0-0177-2620881

परिशिष्ट (क) पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित है।

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/81 से 3/82

1 पैरा-5 (ए) अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/86

1	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/2004

1	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत	(तहबाजारी शुल्क ₹10 प्रतिदिन का निर्धारण प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 07.02.2002 द्वारा किया गया था, जबकि वसूली की गणना 4/95 से कर दी गई थी। अतः वसूली की गणना 3/2002 से 3/2004 तक 25 माह की 42 तहबाजारी होल्डरों से ₹240 प्रति माह की दर से कुल ₹252000 निर्धारित की गई जिसकी शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित करें।)
2	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत	(तहबाजारी शुल्क ₹10 प्रतिदिन का निर्धारण प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 07.02.2002 द्वारा किया गया था, जबकि वसूली की गणना 4/95 से कर दी गई थी। अतः वसूली की गणना 3/2002 से 3/2002 तक 25 माह की 5 तहबाजारी होल्डरों से ₹240 प्रति माह से कुल ₹30000 निर्धारित की गई जिसकी शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित करें।)
3	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत	(तहबाजारी शुल्क ₹10 प्रतिदिन का निर्धारण प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 07.02.2002 द्वारा किया गया था, जबकि वसूली की गणना 4/95 से कर दी गई थी। अतः वसूली की गणना 3/2002 से 3/2004 तक 25 माह की 4 तहबाजारी होल्डरों से ₹100 प्रति माह से कुल ₹10000 निर्धारित की गई जिसकी शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित करें।)
4	पैरा–8	आंशिक रूप से निर्णीत	कुल वसूली ₹649240 में से ₹140428 की वसूली कर ली गई थी जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी। अतः शेष राशि ₹508812 (649240–140428) की वसूली करना सुनिश्चित करें।
5	पैरा–10 (ix) (क से च)	अनिर्णीत	
6	पैरा–10 (x) (क से ग)	अनिर्णीत	
7	पैरा–10 (xii) (क से घ)	अनिर्णीत	
8	पैरा–11 (viii)	अनिर्णीत	

9	पैरा–11 (ix)	अनिर्णीत	
10	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत	
11	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत	
12	पैरा–12 (3)	अनिर्णीत	
13	पैरा–12 (4) (क)	अनिर्णीत	
14	पैरा–12 (4) (ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा–12 (4) (ग)	अनिर्णीत	
16	पैरा–12 (4) (घ)	अनिर्णीत	
17	पैरा–13 (2)	अनिर्णीत	
18	पैरा–16	अनिर्णीत	
19	पैरा–19 (1)	अनिर्णीत	
20	पैरा–19 (2)	निर्णीत	(सम्बन्धित विभागों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की पुष्टि कर ली गई)

(4) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

1	पैरा–11 (ग) (3)	अनिर्णीत
2	पैरा–11 (ग) (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–11 (घ) (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–11 (घ) (3)	अनिर्णीत
5	पैरा–11 (ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा–11 (झ) (3)	अनिर्णीत
7	पैरा–11 (ञ)	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–12	आंशिक रूप से निर्णीत	पैरे में वर्णित क्रम संख्या 1 से 6 एवं 8, 9 तक किरायेदारों से मार्च 2016 तक शत प्रतिशत वसूली कर ली गई थी, लेकिन क्रम संख्या 7 दुकान संख्या 34 श्री मोहिन्द्र सिंह से किराये की राशि वसूली हेतु शेष है

(6) अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा–14	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014

1	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा–12 (क)	निर्णीत	₹10000 की वसूली की पुष्टि जी–8 संख्या

3	पैरा–12 (ख)	निर्णीत	44/385 दिनांक 19.4.2018 तथा रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 115 पर कर ली गई है (₹1250 की वसूली की पुष्टि जी 8 संख्या 46/289 दिनांक 31.8.2017 तथा रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 421 पर कर ली गई है)
4	पैरा–17 (2)	अनिर्णीत	
5	पैरा–17 (5)	अनिर्णीत	
6	पैरा–17 (12)	अनिर्णीत	
7	पैरा–17 (13)	अनिर्णीत	
8	पैरा–17 (14)	अनिर्णीत	
9	पैरा–17 (15)	अनिर्णीत	

(8) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2016

1	पैरा–4	निर्णीत	पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है।
2	पैरा–5 (क)	निर्णीत	पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है।
3	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा–6 (i)	निर्णीत	पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है।
5	पैरा–6 (ii)	निर्णीत	पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है।
6	पैरा–6 (iii)	अनिर्णीत	₹61674 की वसूली निम्नानुसार की गई

जी–8 सं0	**दिनांक**	**राशि**	**रोकड़ बही पृ0सं0**
14/344	26.9.17	45248	16
2/352	31.3.18	16426	105
	योग	**61674**	

7	पैरा–6 (iv)	अनिर्णीत	
8	पैरा–6 (v)	अनिर्णीत	

<table>
<tr><td>9</td><td>पैरा–7 (i)</td><td>निर्णीत</td><td>पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>पैरा–7 (ii)</td><td>निर्णीत</td><td>₹7891 की वसूली निम्नानुसार की गई
<table>
<tr><th>जी–8 सं0</th><th>दिनांक</th><th>राशि</th><th>रोकड़ बही पृ0सं0</th></tr>
<tr><td>24 to 31/289</td><td>21.7.17</td><td>2410</td><td>413</td></tr>
<tr><td>32 to 37/289</td><td>25.7.17</td><td>3603</td><td>415</td></tr>
<tr><td>40/289</td><td>26.7.17</td><td>456</td><td>415</td></tr>
<tr><td>42 to 43/289</td><td>27.7.17</td><td>858</td><td>416</td></tr>
<tr><td>5/352</td><td>10.9.18</td><td>564</td><td>183</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>7891</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11</td><td>पैरा–8</td><td>निर्णीत</td><td>पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>पैरा–9</td><td>अनिर्णीत</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>पैरा–10</td><td>अनिर्णीत</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>पैरा–11</td><td>निर्णीत</td><td>₹1041 की वसूली की पुष्टि जी–8 संख्या 22/289 दिनांक 12.7.2017 तथा रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 408 पर कर ली गई है</td></tr>
<tr><td>15</td><td>पैरा–12 (क)</td><td>निर्णीत</td><td>₹1038 की वसूली की पुष्टि जी–8 संख्या 50/289 दिनांक 123.2.2018 तथा रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 90 पर कर ली गई है</td></tr>
<tr><td>16</td><td>पैरा–12 (ख)</td><td>निर्णीत</td><td>₹1943 की वसूली की पुष्टि जी–8 संख्या 23/289 दिनांक 12.7.2017 तथा रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 408 पर कर ली गई है</td></tr>
</table>

17	पैरा–13 (क)	निर्णीत	₹440 की वसूली की पुष्टि जी–8 संख्या 1/352 दिनांक 23.2.2018 तथा रोकड़ बही पृष्ठ संख्य 90 पर कर ली गई है
18	पैरा–13 (ख)	निर्णीत	₹100 की वसूली की पुष्टि जी–8 संख्या 19/289 दिनांक 26.5.2017 तथा रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 383 पर कर ली गई है
19	पैरा–14	अनिर्णीत	
20	पैरा–15	निर्णीत	₹1050 की वसूली की पुष्टि जी–8 संख्या 8/352 दिनांक 19.8.2018 तथा रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 186 पर कर ली गई है
21	पैरा–16 (क)	निर्णीत	₹13050 की वसूली की पुष्टि जी–8 संख्या 6/352 दिनांक 10.9.2018 तथा रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 183 पर कर ली गई है
22	पैरा–16 (ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा–17	निर्णीत	सटिप्पण उत्तर के अनुसार निर्माण कार्य की निवदाओं में लगाई गई शर्त के अनुसार निम्न निर्माण कार्यों की धरोहर कार्य पूर्ण होने के 5 वर्षों के उपरान्त ही भुगतान की जानी थी जिसकी पुष्टि कर ली गई है। इन संविदाकारो को धरोहर राशि का भुगतान वर्ष 2016 के उपरान्त ही किया गया तथा शेष पैरे की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है।

संविदाकार का नाम	कार्य सं0 जिन्हें धरोहर राशि 5 वर्ष के उपरान्त लौटाई जानी

			पवन वर्मा | कार्य संख्या 1 व 2 वरूण गुप्ता | कार्य संख्या 8 से 12 अनुराग सेठी | कार्य संख्या 17 से 21 विनय गुप्ता | कार्य संख्या 4 तुलसी राम | कार्य संख्या 13
24	पैरा–18	निर्णीत	पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित कर दी गई है।

अनिर्णीत पैरों का सार

अवधि 3/16 तक अनिर्णीत पैरों की सं0	64
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान लगाए गए पैरे	23
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	20
दिनांक 31.3.18 तक अनिर्णीत पैरों की कुल सं0	67